भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2581
उत्तर देने की तारीख: 19.12.2023

हाथ से मैला उठाना

2581. श्री रवनीत सिंह:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के लगभग 60 जिले स्वयं को हाथ से मैला उठाने की प्रथा से मुक्त घोषित करने की समय-सीमा से चूक गए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) देश में विशेष रूप से पंजाब राज्य में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने जिले अभी भी हाथ से मैला उठाने की प्रथा से मुक्त नहीं हैं;
(घ) क्या सरकार देश में हाथ से मैला उठाने की प्रथा को रोकने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कोई उपाय कर रही है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013)" के अनुसार, दिनांक 06.12.2013 से देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग एक निषिद्ध कार्यकलाप है। सभी जिलों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वयं को मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा से मुक्त घोषित करें अथवा इससे जुड़े अस्वच्छ शौचालयों तथा मैनुअल स्कैवेंजरों का आंकड़ा "स्वच्छता अभियान" मोबाइल ऐप पर अपलोड करें। जिलों के लिए स्वयं को मैनुअल स्कैवेंजिंग से मुक्त घोषित करने की कोई समय सीमा नहीं है। दिनांक 10.12.2023 तक, देश के छह राज्यों के 38 जिलों ने स्वयं को मैनुअल स्कैवेंजिंग से मुक्त नहीं बताया है; जिनका ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ) और (ड.): देश में वर्तमान में मैनुअल स्केवेंजिंग के कार्य में लगे लोगों की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

धारा 2(1)(छ) के तहत परिभाषित मैनुअल स्केवेंजिंग "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013)" दिनांक 06.12.2013 से एक निषिद्ध कार्यकलाप है। इस तारीख से कोई भी व्यक्ति अथवा एजेंसी किसी भी व्यक्ति को मैनुअल स्केवेंजिंग में नियुक्त अथवा नियोजित नहीं कर सकता है।

अनुबंध

'हाथ से मैला उठाना' विषयक लोक सभा में दिनांक 19.12.2023 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2581 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

मैनुअल स्कैवेंजिंग मुक्त होने की सूचना नहीं देने वाले जिलों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्यों का नाम	जिलों की संख्या
1.	असम	3
2.	झारखंड	1
3	मध्य प्रदेश	10
4.	मणिपुर	9
5	मेघालय	2
6	तेलंगाना	13

*****